विदेश मंत्री

ओई एवं पीजीई प्रभाग

नागरिक अधिकार (सिटीजन चार्टर)

प्रवासी रोजगार और प्रवासियों के महा संरक्षक (प्रोटेक्टर जनरल), प्रभाग

क्रम सं.	सेवा का विवरण	जिम्मेदार अधिकारी (लैंडलाइन/ईमेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए पदनाम)	कार्य दिवसों की संख्या जिनमें सेवाएं प्रदान की जाएंगी	आवश्यक दस्तावेज
1.	उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 (2) (ख) के अंतर्गत आवेदक को पात्रता पत्र जारी करना	उत्प्रवासी महा संरक्षक (प्रोटेक्टर जनरल) फोन: 011-2687 4250 फैक्स: 0112419 7984 ईमेल: pge@mea.gov.in rcapplication@mea.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक के कार्यालय के माध्यम से चालित किया जाएगा।	**पूरे दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य दिवस** (सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट दिनों की संख्या सभी प्रकार से पूरे दस्तावेजों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय सीमा में किसी अतिरिक्त जानकारी को सुधारने/ कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में लगने वाला समय शामिल नहीं है)	आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ ईमेल rcapplication @ mea.gov.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए और संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक के कार्यालय के माध्यम से चालित किया जाना चाहिए: 1. प्रपत्र-1 आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर के साथ। 2. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के नियम 7 (2) के अंतर्गत आवेदन के प्रसंस्करण शुल्क के रूप में पीएओ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में 25,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट/-। 3. मालिक/प्रबंधक भागीदार/स्वामित्व/ फर्म/कंपनी के प्रबंध निदेशक का स्वयं सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो। 4. मालिक/सभी भागीदारों/ निदेशकों के पदनाम और पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ सभी का नाम/उम्र और आवासीय पता दर्शाते हुए विवरण।

				5. मालिक/प्रबंध भागीदार/ प्रबंध निदेशक के स्वयं सत्यापित नमूना हस्ताक्षर। 6.किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त आवेदक के स्नातक की डिग्री या दो वर्ष के डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाणपत्र की उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के नियम 7 (2) (i) के रूप में संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान विधिवत द्वारा सत्यापित प्रति। 7. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 के 38) के अंतर्गत प्रेक्टिस करने का प्रमाण पत्र रखने वाले एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा नियम 7(2)(ii) के अधीन आवेदक की आर्थिक सबलता दर्शाता हुआ यदि आवेदक एकमात्र मालिक हो, तो मालिक की और अगर आवेदक एक फर्म या कंपनी है तो प्रबंध भागीदारों या प्रबंध निदेशकों की, जैसा भी मामला हो, संपत्ति और देनदारियों का दर्शाते हुए, विधिवत सत्यापित विवरण। 8.(क) सभी भागीदारों द्वारा भागीदारों में से एक को प्रबंधक भागीदार के रूप में कार्य करने और फर्म की ओर से कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करने का संकल्प, (ख) संबंधित प्राधिकरण के साथ पंजीकृत साझेदारी विलेख की प्रति (जो विदेशों में रोजगार के लिए कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए अवश्य प्रदान की जानी चाहिए) (ग) साझेदारी विलेख के पंजीकरण के समर्थन में फर्म के रजिस्ट्रार से सच्चा सारांश (घ) पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैलेंस शीट की एक प्रति। (ङ) एजेंसी / फर्म / कंपनी और मालिक / प्रबंध निदेशक / प्रबंध

				भागीदार / निदेशकों / भागीदारों के पैन कार्ड की एक प्रति। (च) नियम 7 (2) (iii) के अंतर्गत मालिक, फर्म, प्रबंधक भागीदार, प्रबंध निदेशक, कंपनी पिछले 3 साल के आयकर रिटर्न की प्रतियां 9. प्रपत्र- II में उत्प्रवास अधिनियम 1983 के नियम 7(2) (iv) के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष आवेदक द्वारा निष्पादित हलफनामा। 10. प्रपत्र- IV (शपथ पत्र) महानगर / न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सभी भागीदारों/निदेशकों के संबंध में प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और शपथ सहित हो। 11. आवेदक के स्वामित्व वाले कार्यालय परिसर के मामले में; नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित स्वामित्व विलेख/प्रमाण की प्रति या जहां कार्यालय परिसर लीज पर या किराए पर हो, ऐसे मामले में- (क) मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित पट्टे के विलेख/ समझौते की प्रति। इसका कम से कम 3 साल की अवधि के लिए या विस्तार के एक प्रावधान के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए होना आवश्यक है (ख) रसीदी टिकट के साथ में किराये की नवीनतम मूल रसीद, और; (ग) सरकार से मान्यता प्राप्त वास्तुकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगी (पंजीकरण संख्या के साथ) और आवेदक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कार्यालय परिसर की ले-आउट योजना का ब्लू प्रिंट। कमरे और कुल कारपेट एरिया के आयामों का स्पष्ट रूप से संकेत किया जाना चाहिए। 12. मेट्रोपोलिटन/न्यायिक मजिस्ट्रेट

				के समक्ष विधिवत हलफनामा लेकर कार्यालय परिसर के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रपत्र- III में) । 13. दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित की गई प्रति। 14. एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकिक (पंजीकरण संख्या के साथ) से अचल संपत्ति/निवेश/तरल संपत्ति/ देनदारियों के खिलाफ दस्तावेजी प्रमाण के साथ आस्तियों/निवेश आदि की विधिवत हस्ताक्षरित मूल्यांकन रिपोर्ट। 15. एक पंजीकृत सीए से 42 लाख रुपए की निर्धारित वित्तीय ताकत को प्रमाणित (अचल संपत्ति 22 लाख रुपए से अधिक और तरल संपत्ति 20 लाख रुपए) करने वाले प्रमाण पत्र को निम्नलिखित प्रदान कर मालिक, साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से निवल मूल्य को प्रमाणित किया जाएगा: (क) अचल संपत्ति (ख) तरल संपत्ति (ग) देयता (घ) निवल मूल्य 16. कार्यालय परिसर के लैंड लाइन नवीनतम टेलीफोन बिल की स्वयं सत्यापित प्रति। 17. केन्द्रीय या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त एक व्यवसाय परीक्षा केंद्र से, केंद्र में परीक्षित मद/कौशल का संकेत करते हुए केन्द्र के निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा व्यवसाय परीक्षण प्रमाण पत्र (मूल रूप में) और उसकी तस्वीरें दी जानी चाहिए। 18. विदेश में रोजगार के लिए मानव शक्ति की भर्ती में अनुभव (क) देशों के नाम जहां आवेदक

2				ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव करता है (ख) सालाना तैनात करने के लिए प्रस्तावित कार्यकर्ताओं की संख्या (ग) बाजार के विकास के लिए योजनाएं 19. आवेदक एजेंसी के दोनों कार्यालय परिसर और कंपनी/फर्म के मालिक/प्रबंधन भागीदार/ प्रबंध निदेशक/फर्म के भागीदार के निवास दोनों के संबंध में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट 20. संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक द्वारा आवेदक एजेंसी के कार्यालय परिसर के निरीक्षण की रिपोर्ट।
2	उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11(4) के तहत आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना	**उत्प्रवासी महा संरक्षक** फोन: 011-2687 4250 फैक्स: 011-2419 7984 ईमेल: pge@mea.gov.in @mea.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक के कार्यालय के माध्यम से चालित किया जाएगा।	**पूरे दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 कार्य दिवस** (सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट दिनों की संख्या सभी प्रकार से पूरे दस्तावेजों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय सीमा में किसी अतिरिक्त जानकारी को सुधारने/ कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में लगने वाला समय शामिल नहीं है)	(i) इस मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए उत्प्रवास नियम 1983 के नियम 8 के अंतर्गत प्रगणित रूप में पात्रता पत्र जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से छह महीने की दावा अवधि को छोड़कर 8 साल के लिए वैध बैंक गारंटी के रूप में 50,00,000/- (पचास लाख रुपए मात्र) की सुरक्षा जमा। (ii) संबंधित जारी करने वाले बैंक और बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से बैंक गारंटी की असलियत की पुष्टि।
3	उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 17 के अंतर्गत विदेशों में रोजगार के लिए परियोजना निर्यातक	**उत्प्रवासी महा संरक्षक** फोन: 011-2687 4250 फैक्स:	**पूरे दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य दिवस** (सेवाएं प्रदान करने के लिए	1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में 2000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के नियम

	और विदेशी नियोक्ता के लिए परमिट जारी करना	011-2419 7984 ईमेल: pge@mea.gov.in rcapplication @mea.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक के कार्यालय के माध्यम से चालित किया जाएगा।	निर्दिष्ट दिनों की संख्या सभी प्रकार से पूरे दस्तावेजों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय सीमा में किसी अतिरिक्त जानकारी को सुधारने/ कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में लगने वाला समय शामिल नहीं है)	11(2) के अंतर्गत भारतीय श्रमिकों की भर्ती हेतु एक परमिट के लिए प्रपत्र-VII में आवेदन 3. विदेशों में रोजगार के लिए जनशक्ति भर्ती करने के एक उद्देश्य का एसोसिएशन कंपनी ज्ञापन। 4. कंपनी की एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख 5. परियोजना निर्यातक और विदेशी नियोक्ता के बीच अनुबंध समझौते की संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा विधिवत सत्यापित प्रति (लीबिया, कुवैत अफगानिस्तान और मलेशिया के मामले में)। 6. वेतन ढांचे के विधिवत विवरण (संबंधित देश में लागू न्यूनतम मजदूरी के अनुसार) 7. कार्यकर्ताओं की तैनाती के लिए कंपनी को उपरोक्त संविदा के निष्पादन का अनुसरण करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए बैंकर से सुरक्षा समझौता (प्राप्त किया जा रहा है और बाद में भेजा जा सकता है) 8. रोजगार अनुबंध/अनुबंध की अवधि का मॉडल समझौते के अंतर्गत समझौते की धारा 10 के रूप में समाप्त न की गई होने पर अभी भी वैध "खण्ड 2- समझौते की लंबाई।
क्रम सं.	**सेवाओं का विवरण**	**जिम्मेदार अधिकारी (सेवा उपलब्ध कराने के लिए पदनाम लैंडलाइन / ईमेल**	**कार्य दिवसों की संख्या जिसके भीतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी**	**आवश्यक दस्तावेज**
4	उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 22 के अंतर्गत भर्ती	**उत्प्रवासी महा संरक्षक (प्रोटेक्टर जनरल)** www.emi **ईमेल एवं फोन**	**1 कार्य दिवस** (सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट दिनों की संख्या सभी प्रकार से पूरे	**प्रति प्रवासी 200 रुपए का बैंक चालान।** **(अर्द्ध (कुशल)) व्यक्तियों को उत्प्रवास मंजूरी (ईसीएनआर) देने के लिए आवश्यक दस्तावेज दस्तावेज़** I. पासपोर्ट (कम से कम छह महीने के लिए वैध)

	एजेंट(आरए) के माध्यम से उत्प्रवास की मंजूरी और व्यक्तियों को उत्प्रवास मंजूरी देना	grate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे संबंधित उत्प्रवासी संरक्षक के कार्यालय के माध्यम में जमा किया जाएगा।		दस्तावेजों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय सीमा में किसी अतिरिक्त जानकारी को सुधारने/कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में लगने वाला समय शामिल नहीं है)	II. वैध रोजगार वीजा (अंग्रेजी भाषा में) III. विदेशी नियोक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुबंध IV. वैध प्रवासी भारतीय बीमा नीति 2006 V. उम्मीदवार द्वारा दस्तावेजों के सही होने की घोषणा का हलफनामा **(अकुशल) व्यक्तियों को ईसीआर देने के लिए आवश्यक दस्तावेज** **दस्तावेज़** I. पासपोर्ट (कम से कम छह महीने के लिए वैध) II. वैध रोजगार वीजा III. विदेशी नियोक्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल अनुबंध (संबंधित भारतीय मिशन द्वारा इसके सत्यापन की भी आवश्यकता होगी) IV. वैध प्रवासी भारतीय बीमा पॉलिसी 2006 V. मंत्रालय की स्वीकृति, अगर उम्मीदवार 30 साल या उससे कम आयु वर्ग की एक महिला है। **आरए के माध्यम से (अर्द्ध)कुशल व्यक्तियों को उत्प्रवास मंजूरी देने के लिए आवश्यक दस्तावेज** **दस्तावेज़** i. पासपोर्ट (कम से कम छह महीने के लिए वैध) ii. आवश्यक वैध वीजा (अंग्रेजी भाषा में) iii. आरए से हलफनामा iv. विदेशी नियोक्ता का मांग पत्र v. विदेशी नियोक्ता द्वारा आरए को दिया गया मुख्तारनामा vi. नमूना कार्य अनुबंध vii. वैध प्रवासी भारतीय बीमा पॉलिसी
(i)		दिल्ली	poedelhi@mea.gov.in 011-23382472 / 23073908 Fax:011-23382472		
		मुंबई	poemumbai@mea.gov.in 022-26614393, 26614252, 26608800 Fax:022-26614393		
		चेन्नई	poechennai2@mea.gov.in 044-24891337, 24745610 Fax:044-24891337		
		थिरुवनंतपुरम	poetvm@mea.gov.in 0471-2324835, 2336625, 2336626 Fax:0471-2324835		
		कोचीन	poecochin@mea.gov.in 0484-2360187,		
		हैदराबाद	Poehyd@mea.gov.in		

			040-24652557		2006 viii. मंत्रालय की स्वीकृति, अगर उम्मीदवार 30 साल या उससे कम आयु वर्ग की एक महिला है।
		चंडीगढ़	poechd@mea.qov.in 0172-2741790		
		कोलकाता	poekol@mea.gov.in 033-23343??		**आरए के माध्यम से अकुशल व्यक्तियों को ईसीआर मंजूरी देने के लिए आवश्यक दस्तावेज** **दस्तावेज़**
		जयपुर	poejaipur@mea.go v.in 0141-2771528, 2771529		i.पासपोर्ट (कम से कम छह महीने के लिए वैध) ii. आवश्यक वैध वीजा (अंग्रेजी भाषा में) iii. आरए से हलफनामा
		रायबरेली	poerbl@mea.gov.in 0535-2211122, 2211123		iv. विदेशी नियोक्ता से मांग पत्र भारतीय मिशन द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित v. विदेशी नियोक्ता द्वारा आरए के लिए मुख्तारनामा भारतीय मिशन विधिवत द्वारा अभिप्रमाणित vi. नमूना कार्य अनुबंध भारतीय मिशन द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित vii. वैध प्रवासी भारतीय बीमा पॉलिसी 2006 viii. मंत्रालय की स्वीकृति, अगर उम्मीदवार 30 साल या उससे कम आयु वर्ग की एक महिला है।

सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट दिनों की संख्या सभी संबंध में पूरा दस्तावेजों की उपलब्धता के अधीन है। समय सीमा में किसी अतिरिक्त जानकारी को सुधारने/कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में लगने वाला समय शामिल नहीं है

अवैध एजेंटों / पंजीकृत भर्ती एजेंटों के खिलाफ शिकायत

विदेश मंत्रालय में एजेंटों (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों) के खिलाफ शिकायत/परेशानी प्राप्त होने पर:

पीड़ित या परिवार के सदस्य पंजीकृत भर्ती एजेंटों और अवैध एजेंटों दोनों के खिलाफ, प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र (ओडब्ल्यूआरसी) के टोल-फ्री को नंबर 1800-11-3090 पर 6 भारतीय

भाषाओं (हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली) तथा अंग्रेजी में शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।

• पीड़ित या उसके परिवार का कोई भी सदस्य विदेश मंत्रालय के madad.gov.in के Madad पोर्टल पर जाकर या https://portal2.madad.gov.in/AppConsular/welcomeLink. लिंक का अनुसरण कर शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। यह एक उपयोगकर्ता अनुकूल पोर्टल हैं जहां एक बार शिकायत दर्ज कराई जाने पर, यह स्वचालित रूप से संबंधित भारतीय मिशन/ पोस्ट को सौंप दी जाती है और इसके निवारण की स्थिति शिकायत का पता लगाएं (Track Grievance) पर परिलक्षित होती है। जब भी स्थिति में परिवर्तन होता है पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के रूप में प्रतिक्रिया भेजी जाती है।

• विदेश मंत्रालय में प्राप्त शिकायत/परेशानी को विदेशी नियोक्ता/प्रायोजक के साथ शिकायत का समाधान करने के लिए संबंधित मिशन/पोस्ट को भेज दिया जाता है।

• प्राप्त शिकायत/परेशानी को उनके पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध एजेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को भी भेजा जाता है। शिकायतकर्ता को भी प्राथमिकी दर्ज करने और इसका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

• पुलिस अधिकारी, मामले की जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए इसे तैयार करने के बाद, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 27 के तहत कानून की उचित अदालत में आरोपी पर अभियोग की मंजूरी के लिए इसे उत्प्रवासियों के महासंरक्षक, विदेश मंत्रालय के पास भेजते हैं। उत्प्रवासियों के महासंरक्षक के कार्यालय द्वारा इस तरह के अभियोजन के लिए अनुरोध को प्राथमिकता के आधार पर स्रसंस्कृत किया जाता है और अभियोजन प्रतिबंध जारी किए जाते हैं।

• 2016 में, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत उत्प्रवासी महासंरक्षक द्वारा सीबीआई/राज्य पुलिस विभाग के लिए 42 अभियोजन स्वीकृतियां प्रदान की गई थी। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों को अवैध एजेंटों के खिलाफ 262 मामले भेजे गए थे।